न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 08/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/08)

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखदेव सिह पुत्र गुरदत सिह जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. अमनदीप कौर पत्नी जितेन्द्रपाल सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 01, गुरूसर तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरप्रीत कौर पुत्री लखविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 3. जसवीर सिह पुत्र गुरदत सिह जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 4. निशान सिह पुत्र लखविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 5. बलकरण सिह पुत्र गुरदत सिह जाति जटसिख निवासी चक 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 6. मनदीप सिह पुत्र अजमेर सिह जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 7. महेन्द्र कौर पुत्री नागीर सिह जाति जटसिख निवासी चक 13 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 8. राजेन्द्र सिह पुत्र नागीर सिह जाति जटसिख निवासी चक 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर। -मृतक 8/1.नसीब कौर पत्नी राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 8/2.गुलाब सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 8/3.गुरलाल सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 8/4.अरपिन्द्र कौर पुत्री राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 9. सगम कौर पुत्री अजमेर सिह जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 10. सुखदेव कौर पत्नी लखविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 11. हरदीप सिह पुत्र मिलखी राम जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 12. हर्षपिन्द्र कौर पुत्री अजमेर सिह जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 13. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 14.01.2025

उपस्थितः1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी
2.श्री गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11
3.श्री ईकबाल सिंह ढिल्लो अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4

—निर्णय— **दिनांकः 08.09.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/39 के मुरब्बा नम्बर 5, 7, 15, 17 की कुल 19.038 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है, जिसका अभी तक किलावाईज विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए वादी संयुक्त खाता की उक्त प्रश्नगत भूमि का भूमि की किस्म अनुसार रास्ता तथा सिंचाई पानी की सहुलियत के मद्देनजर किलावाईज विभाजन करवाकर अपने हिस्सानुसार किलावाईज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अलग से अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार है और वादी भूमि का अलग से खाता कायम करवाकर स्वंय को विभाजनशुदा भूमि का खातेदार घोषित करवा पाने का अधिकारी है, जिसके लिए वादी उक्त दावा ला पाने का अधिकारी है। आज से 10 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया,

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/39 के मुरब्बा नम्बर 5, 7, 15, 17 की कुल 19.038 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम दर्ज भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदयाल सिंह मल्ली उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 के वारिसान को बतौर प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित आए। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7, 9, 10, 12 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4, 11 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4, 11 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/39 के मुरब्बा नम्बर 5, 7, 15, 17 की कुल 19.038 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी सुखदेव सिंह व प्रतिवादीगण हरदीप सिंह, नसीब कौर, गुलाब सिंह, गुरलाल सिंह, अरपिन्द्र कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 2146 दिनांक 13.08.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4, 11 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4, 11 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/39 के मुरब्बा नम्बर 5, 7, 15, 17 की कुल 19.038 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4, 11 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सुखदेव सिह पुत्र गुरवत सिह जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (3.099 हैक्टेयर)	19 ओ	15	13/2 14 से 20 21 22 23 24 25	0.190 हैक्टेयर 1.771 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.68 15.75 2.03 2.03 2.02 2.03 2.02
2	हरदीप सिह पुत्र मिलखी राम जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (0.506 हैक्टेयर)	19 ओ	5	8 13	0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी	2.25 2.25
3	नसीब कौर पत्नी राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। गुलाब सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। गुरलाल सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। अरपिन्द्र कौर पुत्री राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (3.628 हैक्टेयर ब.हि.ब.)	19 ओ	17	1 से 14 15	3.542 हैक्टेयर 0.086 हैक्टेयर	नहरी नहरी	31.50 0.76

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सुखदेव सिंह आदि बनाम अमनदीप कौर आदि

धारा अन्तर्गत **53, 188** आरटीए मुकदमा नम्बर **08/2025**

निर्णय दिनांक :-08.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री गुरदयाल सिंह मल्ली** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू. अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/39 के मुरब्बा नम्बर 5, 7, 15, 17 की कुल 19.038 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8/1 ता 8/4, 11 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सुखदेव सिह पुत्र गुरदत सिह जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (3.099 हैक्टेयर)	19 ओ	15	13/2 14 से 20 21 22 23 24 25	0.190 हैक्टेयर 1.771 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.68 15.75 2.03 2.03 2.02 2.03 2.02
2	हरदीप सिह पुत्र मिलखी राम जाति जटसिख निवासी चक 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (0.506 हैक्टेयर)	19 ओ	5	8 13	0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी	2.25 2.25
3	नसीब कौर पत्नी राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। गुलाब सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। गुरलाल सिह पुत्र राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। अरपिन्द्र कौर पुत्री राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (3.628 हैक्टेयर ब.हि.ब.)	19 ओ	17	1 से 14 15	3.542 हैक्टेयर 0.086 हैक्टेयर	नहरी नहरी	31.50 0.76

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 10.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	250	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	254	**00**	**योग**	**04**	**00**

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/ 2025/683 दिनांकः 10.09

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पा
पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिका
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
सत्यमेव जयते